भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4530

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर समान टोल प्रभार सुनिश्चित करना

4530. श्री हैबी ईडन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए टोल टैक्स गणना की पद्धति पर पुनर्विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार राजमार्गों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए रियायतग्राहियों पर कड़े नियम लागू करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रियायतग्राही सड़क रखरखाव, ब्लैक स्पॉट प्रबंधन और यात्री सुविधाओं के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण राजस्व संग्रह में तेजी से हुई वृद्धि टोल दरों में कटौती को उचित ठहराती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स निर्धारित करने वाले मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम, 2008 के अंतर्गत प्रति किलोमीटर टोल फीस की आधार दर को कम किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदत्त सेवाओं या लाभों के लिए शुल्क लगाने हेतु मौजूदा शुल्क नियमावली (राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008) को वर्ष 2008 में तैयार किया गया था, जिससे देश भर में प्रयोक्ता शुल्क की गणना के लिए एक समान पद्धति सहित प्रयोक्ता शुल्क दरों के निर्धारण में पारदर्शिता और निश्चितता सुनिश्चित हुई और वही शुल्क नियम लागू है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहित किया जाता है, जो देश भर में समान रूप से संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का अनुरक्षण संबंधित संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार विनियमित/शासित होता है। रियायतग्राहियों की ओर से किसी भी चूक के मामले में, रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर कार्यों के निष्पादन सहित उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। अनुरक्षण में दोषों का सर्वेक्षण संबंधित ठेकेदार/रियायतग्राही/परामर्शदाता द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है। तकनीकी दिशानिर्देशों द्वारा विधिवत समर्थित अनुबंध/रियायत समझौते में विनिर्दिष्ट संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर पुरानी अवसंरचना के सुधार का कार्य किया जाता है। अनुबंध/रियायत समझौते में निर्धारित शर्तों को पूरा न कर पाने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में हों।

(घ) से (च) सरकार मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण, ग्रीनफील्ड एनएच परियोजनाओं के विकास सहित कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, ताकि बढ़ते यातायात को समायोजित किया जा सके, सुरक्षा में सुधार किया जा सके, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके और रसद दक्षता (लॉजिस्टिक) को बढ़ाया जा सके। तथापि, समय के साथ, भूमि अधिग्रहण की बढ़ती लागत, मुद्रास्फीति और अन्य संबंधित खर्चों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण लागत में भी वृद्धि हुई है।

एनएच शुल्क नियमों के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी विशेष खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क की दर निर्धारित करने में विभिन्न कारकों जैसे लेन विन्यास अर्थात् पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन / 4 या अधिक लेन, खंड की लंबाई, बाईपास / संरचनाओं / सुरंगों की लंबाई और वाहन का प्रकार (कार, बस, बहु धुरीय ट्रक, आदि) पर विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एनएच प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर संग्रहित किया गया प्रयोक्ता शुल्क मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के लिए आवधिक संशोधन के अध्यधीन है।

*****